


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. निगरानी संख्या 2170/2014 जिला बीकानेर

उनवान पूनाराम पुत्र डालूराम, बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक 1 बीकानेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.15	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदनलाल, सदस्य</u></p> <p>वकील प्रार्थी श्री बट्टी प्रसाद सांखी एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी की ओर से श्री बट्टी प्रसाद सांखी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.2(6)वित्त/कर 2014-143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2170/2014/बीकानेर जरिये विद्झावल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> 17.3.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	